सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

सेहा० निदेशक

उत्तराखण्ड शासन,
संस्कृति पर्यटन एवं खेल अनुभाग–2
संख्या– /VI-2/2012–82(13)/2012
देहरादूनः दिनांकः 02 ~~अक्टूबर~~ 2012 नवम्बर

निदेशक 2/11/12

राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़ के संग्रह में वृद्धि करने के लिए विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध होने वाली कलाकृतियों/पुरावशेषों/कला वस्तुओं आदि के कय हेतु निम्नानुसार स्थानीय प्रदर्श कय समिति गठित की जाती हैः–

1. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, पिथौरागढ़	सदस्य
3. विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, राजकीय स्नोत्कोत्तर महाविद्यालय, पिथौरागढ।	सदस्य
4. प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पुरातत्ववेता	सदस्य
5. क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, अल्मोड़ा अथवा पौड़ी	सदस्य
6. अध्यक्ष द्वारा स्थानीय स्तर पर मनोनीत– (विशिष्ट कलात्मक सामग्री पर परामर्श हेतु विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकते हैं)	सदस्य
7. प्रभारी/ संग्रहालयाध्यक्ष, राजकीय संग्रहालय पिथौरागढ़	संयोजक/सदस्य

2– स्थानीय प्रदर्श कय समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा।

3– स्थानीय प्रदर्श कय समिति को एक समय में अधिकतम ₹1,00,000/–मात्र (एक लाख) तक की कलाकृतियों के कय करने का अधिकार होगा, परन्तु इस प्रकिया में अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।

4– स्थानीय प्रदर्श कय समिति की बैठक कैलेण्डर वर्ष में एक बार आवश्य आहूत की जायेगी।

5– राजकीय संग्रहालयों के लिए कलाकृतियों का चुनाव करने के निमित्त प्रदर्श कय समिति की बैठक हेतु नामित गैर सरकारी सदस्यों, जो कि उक्त स्थान के निवासी नहीं है, जहाँ समिति की बैठक हो, अथवा होगी, की बैठक में सम्मिलित होने के लिए की गयी यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 1–3–2009 के अनुसार इन्हें वेतनमान ₹ 5400, ₹6600 को अनुमन्य होने वाली श्रेणी का मानते हुए रेल का ए०सी०

—(2)

AO लेखाकार

टू0 टियर / प्रथम श्रेण / शताब्दी एक्सप्रेस का चेयर कार तथा दैनिक भत्ता एवं रूकने की दशा में इसे ग्रेड वेतन को अनुमन्य भत्ता / व्यय देय होगा।

6– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–आयोजनागत–00–107–संग्रहालय–03–अधिष्ठान व्यय–00 के सुसंगत मानक मद में प्राविधानित धनराशि में से किया जायेगा।

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 55 / VI–2 / 2012–82(13) / 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. समिति के नामित सदस्यगण।
4. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव